अपीलीय वाद संख्या................................... / 2016

2964
12-7-16

# कृषि विभाग

## बिहार, पटना

विषय :– मेसर्स के0टी0एल सीड्स फार्म प्रा0 लि0 द्वारा बीज का अनुज्ञप्ति रद्द करने के विरूद्ध सचिव, कृषि के समक्ष अपील।

| क्र0सं0 | तिथि | अपील सुनवाई का वृत्त |
|---|---|---|
| 1. | 30.05.2016 | अपील की सुनवाई के दौरान मे0 के0टी0एल सीड्स फार्म प्रा0 लि0 के प्रतिनिधि के रूप में श्री अर्नब हाजरा एवं विभागीय पक्ष रखने हेतु श्री मु0 नईम अशरफ, संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान उपस्थित हुए।<br>श्री अर्नब हाजरा ने मे0 के0टी0एल सीड्स फ़ार्म प्रा0 लि0 की अनुज्ञप्ति सं0 142/2009 दिनांक 3.07.2009 को राज्य अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा विलम्ब से नवीकरण का प्रस्ताव दिये जाने के कारण बीज अनुज्ञप्ति सं0 142/2009 दिनांक 3.07.2009 को रद्द करने के विरूद्ध अपील के साथ प्रतिष्ठान के निदेशक, श्री तपस चौधरी ने अपनी स्वंय की बिमारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है और बिमारी के कारण समय सीमा के अंदर आवेदन नहीं दिये जाने का कारण उल्लेख करते हुए अनुरोध किया की राज्य अनुज्ञापन पदाधिकारी को आदेश दिया जाय कि उनकी बीज अनुज्ञप्ति को नवीकरण कर दिया जाय।<br>विभाग की ओर से श्री नईम अशरफ संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान द्वारा बताया गया कि बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अन्तर्गत वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात अधिकतम एक माह के अंदर तक विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन किये जाने का प्रावधान है, लेकिन प्रतिष्ठान द्वारा तीन माह से अधिक समय के बाद नवीकरण हेतु आवेदन किया गया था। [Seed (Control) order 1983 Cl. 16]। अनुज्ञप्ति नवीकरण का प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होने के कारण बीज नियंत्रण आदेश 1983 के आलोक में प्रतिष्ठान के नवीकरण के प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए बीज अनुज्ञप्ति सं0 142 दिनांक 03.07.2009 को रद्द किया गया है।<br>उभय पक्ष दोनों की बात सुनने के पश्चात पाया गया कि मे0 के0टी0एल सीड्स फार्म प्रा0 लि0 के निदेशक श्री तपस चौधरी की बिमारी के कारण ससमय नवीकरण का आवेदन का अनुज्ञापन पदाधिकारी को नहीं दिया गया। नवीकरण का आवेदन कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा भी किया जा सकता था, परन्तु समय पर नहीं किया गया।<br>Seed (Control) order 1983 Cl. 16 के अनुसार अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के बाद एक माह के अंदर ही नवीकरण के लिए आवेदन देने का प्रावधान है। आवेदन तीन माह वाद दिया गया है।<br>अतः पाया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा नियम संगत कार्रवाई की गयी है इसलिए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। |

सचिव, कृषि
बिहार, पटना

# कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 2964 /कृ0, पटना, दिनांक 12-7-2016

प्रतिलिपि : मेसर्स के०टि०एल० सीडस फार्म प्रा०लि० C/o महावीर इंटरप्राईजेज दिग्घी तालाव, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

15.7.16

(मु० नईम अशरफ)
संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2964 /कृ0, पटना, दिनांक 12-7-2016

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान, उप निदेशक (शष्य), मुख्यालय, उप निदेशक (शष्य) बीज, उप निदेशक (शष्य) फसल, उप निदेशक (शष्य) तेलहन, उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण, उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य), सभी जिला कृषि पदाधिकारी, सभी जिला उद्यान पदाधिकारी (कृषि स्नातक), सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

15.7.16

(मु० नईम अशरफ)
संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2964 /कृ0, पटना, दिनांक 12-7-2016

प्रतिलिपि : आई०टी०, मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड एवं इमेल करने हेतु प्रेषित।

15.7.16

(मु० नईम अशरफ)
संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान,
बिहार, पटना।